

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(54)एमई/ग्रुप-1/1984


जयपुर, दिनांक 10 JUL 2019

-: : आदेश :-

डॉ० रचना नारायण, वरिष्ठ आचार्य, इम्यूनोहीमेटोलोजी एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज, जयपुर, जिनकी जन्म तिथि 20.03.1957 है, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत दिनांक 05.03.2019 अपराह्न से राज्य सेवा से एतद्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित डॉ० रचना नारायण, वरिष्ठ आचार्य, इम्यूनोहीमेटोलोजी एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज, जयपुर के विरुद्ध आज तक:-


- (1.) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2.) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3.) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,  


(मोहन लाल वर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
4. निदेशक, पेशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर।
6. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. डॉ० रचना नारायण, वरिष्ठ आचार्य, इम्यूनोहीमेटोलोजी एवं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।



(शिव शंकर अग्रवाल)  
शासन सहायक सचिव